फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप०। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्यवादी दिनांक 1/8/24 को पेश हो [signature]
		पुनश्चः इतना लिखने पर वकील वादी ने अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे अंतिम बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/8/24 को पेश हो [signature]
	01/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन करने के पश्चात् हम पाते है कि प्रकरण में विक्रय पत्र दिनांक 27/04/2005 को पंजीकृत विक्रय पत्र में सहवन से खसरा नं. 787 के स्थान पर 786 अंकन होने बाबत इन्द्राज दुरुस्ती चाही गई है। उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है तथा

फर्द अहकाम

बनाम

ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पंजीयन अधिनियम, 1908 में किसी भी पंजीकृत दस्तावेज में शुद्धि हेतु संशोधित दस्तावेज पंजीकृत करवाने का प्रावधान है। अतः न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने पर राजस्व हानि होती है जो राज्य हित के प्रतिकूल है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 1/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature]	